उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 95 /2020/346प्र0स0/92-2-20-52एम/2020
लखनऊ :: दिनांक:: 22 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

त्वरित विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रू0 5.00 करोड की लागत से सडको का निर्माण कराये जाने संबंधी मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा से आच्छादित जनपद सोनभद्र की 18 सडको के निर्माण कार्य में रूचि न लेने, कार्यो में लापरवाही व शिथिलता बरतने, शिथिल नियंत्रण व भ्रामक रिपोटिंग करने के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के के कारण श्री अरूण कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू/प्रखण्ड-सोनभद्र के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में ससमय उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-95/2020/346प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-288/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/पत्रा0सं0-25/20-21 दि0 13-07-2020 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री अरूण कुमार वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर 02 प्रतियों में शासन को 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सहायक अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-सोनभद्र।

4- श्री अरूण कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, पीआईयू/प्रखण्ड-सोनभद्र द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in